गतांक की चीरफाड़

मजूदर मोर्चा के 16-31 अक्टूबर 2014 के अंत में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढ़ने को मिले। फरीदाबाद के मजदूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ईएसआई निगम द्वारा ईएसआई मैडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण करने पर मज़दूरों की खून पसीने की कमाई का 700 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अभी लगभग 150-200 करोड़ रुपया और खर्च लेने की संभावना है। लेकिन अभी तक मजदूरों को नाममात्र का भी लाभ नहीं हुआ है। इस मुद्दे का मंजूदर मोर्चा वर्षों से लगातार उठा रहा है।

इस अंक में भी ईएसआई मैडिकल कॉलेज अस्पताल-सांसद कृष्णपाल व भाजपा सरकार नाकाम, 'कृष्णपाल जी इधर भी झांकिये जरा', 'मैडिकल कॉलेज अस्पताल चलाने में ईएसआई ने हाथ खड़े किये तथा श्क है यह यूपी राजकीय निर्माण निगम' लेख प्रकाशित हुए हैं। परन्तु आश्चर्य है कि इस सबके बावजूद सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की मोदी सरकार, दोनों ही इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मज़दूरों के वेतन से हर माह प्रतिशत ईएसआई काटा जाता है जो ईएसआई निगम के पास करोड़ों रुपयों में इक्ट्ठा होता है। इसके बावजूद ईएसआई निगम व राज्य सरकार मजदूरों को अपने कारनामों की वजह से प्राईवेट अस्पतालों में धक्के खाने के लिए मजबूर करते हैं।

देश में स्थापित बीमा कम्पनियां आई.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हैं, परन्तु ई.एस.आई. निगम आई.आर.डी.ए. के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। इस कारण मजदूर ई.एस.आई. की धांधलेबाजी का शिकार होता है और इसके खिलाफ सुनवाई के लिए कहीं भी नहीं जा सकता। जो मजदूर एन.एच-3 के ई.एस.आई. अस्पताल से प्राईवेट अस्पताल (मेट्रो अथवा पार्क) में रैफर किए जाते हैं उनका इलाज कैशलैस होता है जिसका अर्थ है मरीज को वहां अपने ईलाज के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता, परन्तु जो मजदूर सैक्टर-8 के ई. एस.आई. अस्पताल से रैफर किए जाते हैं उनको पहले अपनी जेब से इलाज का खर्च भुगतना पड़ता है और ईलाज के बाद ईलाज के खर्चे का बिल प्रस्तुत करने के बाद उसे ई.एस.आई. निगम से भुगतान मिलता है जिसमें कई महीने लग जाते हैं और बिल की पूरी राशि भी नहीं मिलती। सैक्टर 8 के ई.एस.आई. अस्पताल से रैफर मजदूरों को कैशलैस इलाज की सुविधा क्यों नहीं दी जाती, यह दोहरी व्यवस्था क्यों हैं जो मजदूरों के हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त उन प्राईवेट अस्पतालों में रैफर मजदूरों को कैशलैस ईलाज की सुविधा क्यों नहीं दी जाती, यह दोहरी व्यवस्था क्यों है जो मजदूरों के हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त उन प्राईवेट अस्पतालों में रैफर किए गए मजदूरों के साथ भेदभाव व दुर्व्यवहार भी किया जाता है जिसका मजदूर मोर्चा के गत अंकों में वर्णन किया गया है।

यह प्रश्न है कि मजदूरों के वेतन से हर माह ई.एस.आई. की किश्त काटने के बावजूद उनको उपयुक्त चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती। जिसके वे ठेकेदार है और इसी उद्देश्य से 1952 में ई.एस.आई. निगम की स्थापना की गई थी। इसके विपरीत अब ई.एस.आई. निगम के डी.जी. ने तो विभिन्न राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि वे अपने सारे मैडिकल कालेज व अस्पताल राज्य सरकारों को सौंपने को तैयार है और राज्य सरकारे मुफ्त में मिल रहे इन मैडिकल कॉलेजों व अस्पतालों को अधिग्रहण तो कर लेगी परन्तु मजदूर जिनको ईएसआई निगम से बेहतर चिकित्सा सुविधा पाने की उम्मीद थी, उनका क्या होगा? सरकार श्रम सुधार की बातें तो बहुत करती है परन्तु श्रमिक सुधार की नहीं और श्रमिकों का शोषण होता रहेगा व पिसते रहेंगे।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद लेख 'कृष्णपाल का 9 सीटें जीतने का सपना हुआ फ्लॉप' सही साबित हुआ है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की 9 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिली हैं इससे भी ऊपर कृष्णपाल की अपनी सीट तिगांव में भाजपा को हार का मुख देखना पड़ा। लेख 'सफाई राजा के नौ रत्न' तथा शहर में नया सफाई वाला द्वारा सफाई के नाम मोदी द्वारा की जी रही नौंटकी का पर्दाफाश किया गया है।

मोदी को सफाई व स्वच्छाता से कोई लेना देना नही है, उसका मुख्य उद्देश्य हैड्ड महात्मा गांधी, नेहरू व इंदिरा गांधी को कांग्रेस बपौती से छीनना और उनके विचारों पर बहस न होने देना। लेख 'भागते भूत की लंगोटी भी मिलेगी क्या वीरेन्द्र को' में चौधरी वीरेन्द्र सिंह की भाजपा में स्थित का उचित मूल्यांकन किया गया है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने वीरेन्द्र की बजाय उनकी पत्नी प्रेम लता को टिकट दी। चुनाव जीतने के बाद प्रेमलता को मंत्री पद नहीं दिया गया जिसकी अखबारों में काफी चर्चा थी। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज वीरेन्द्र मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में कांग्रेस छोडत्रकर भाजपा में गए थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। उनकी स्थिति यह बन गई कि 'धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का'।

ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेताओं और अमीरों को देश के कानून व अदालत की कितनी अहमितय है यह लेख 'निष्पक्ष' न्यायपालिका का ढंगड्ड'बीमार' कैदी लड़ता चुनावी जंग से स्पष्ट है। हाईकोर्ट से जेल जाने के आदेश के कारण ओम प्रकाश चौटाला अगले दिन 11 अक्टूबर को जेल तो गए परन्तु जेल नियम के अनुसार नियत समय के डेढ़ घंटे बाद। इसका अर्थ है कि इन जैसे लोगों को कानून की कोई परवाह नहीं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, सभी सरकारे मिल मालिकों व पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए नीतिया बनाती है और किसानों व मजदूरों के हितों की अवहेलना करती है जोकि लेख 'सरकार के चहेते चीनी मिल मालिक' से स्पष्ट है।

पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) के अवसर प्रकाशित लेख 'पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस सुधार' में आवश्यक उपयुक्त पुलिस सुधारों का सटीक विश्लेषण किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रेरणादायक व उच्च स्तरीय है।

जुगल किशोर गुप्ता

अवैध लूट के लिए अवैध निर्माण कराता है नगर निगम

फरीदाबाद (म.मो.)। नगर निगम अधिकारियों ने अपनी लूट कमाई को बढ़ावा देने के लिए यह तय कर रखा है कि किसी भी शहरवासी को वैध निर्माण करने मत दो। किसी का भी नक्शा पास मत करो। अवैध निर्माण के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करो। अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण का नक्शा जान बूझकर पास नहीं किया जाता ताकि भवन निर्माणकर्ता निर्माण तो करे लेकिन चोरों की तरह जब निर्माण हो जाएं तो तोड़फोड़, सीलिंग का भय दिखाकर निगम का लुटेरा गिरोह निर्माणकर्ता से मोटी रकम वसूल कर सके। पाठकों ने मजदूर मोर्चा 16-31 अक्टूबर के अंक में पढ़ा होगा कि किस तरह नगर निगम अधिकारियों व पार्षद पति - नरेश गोसाईं ने बिल्डर चांद व उसके पार्टनर नरेश आहूजा से एक मोटी रकम लूट कमाई करके 5सी/44 काम्पलैक्स में अवैध निर्माण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

नगर निगम अधिकारियों व जनता द्वारा चुने हुए नुमाईदों से सैटिंग होने के बाद बिल्डरों ने नगर निगम द्वारा दो बार सील की गई 5सी/44 काम्पलैक्स में धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी रखा। मजदूर मोर्चा के 1-15 अक्टूबर अंक में खबर प्रकाशित होने के बाद मजबूरन थाना एन.आई.टी. प्रभारी को बिल्डर चांद पर मुकदमा नं. 238 धारा 188 का दर्ज करना पड़ा। इस प्रकरण में थाना एन.आई.टी. प्रभारी व आई.ओ. ने बिल्डर से मोटी रकम वसूलकर अपनी कलम का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर 5सी/44 के मुख्य मालिक व अन्य पार्टनरों पर कृपा दृष्टि बनाते हुए सिर्फचांद पर ही मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी से मिले आशीर्वाद के तुरन्त बाद बिल्डर चांद ने सील के साथ-साथ पुरानी दो दुकानों को ही तुड़वा दिया जिन पर नगर निगम द्वारा सीलिंग की गई थी व आगे अवैध निर्माण बनाने की गति तेज कर दी। उसी काम्पलैक्स में नई दुकाने बनाने की खबर नगर निगम लुटेरा गिरोह को भी लग गई। लुटेरा गिरोह 5सी/44 काम्पलैक्स पर दिनांक 09.10.2014 को पहुंचा व दुकानों के लिए डाले गए कालम तोड़कर वापिस चलता बना, जाहिर है नगर निगम वाले तोड़फोड़ की यह नौंटंकी केवल अपनी लूट कमाई के लिए करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 5सी/44 काम्पलैक्स वैध है। तो उसके कॉलम क्यो तोड़े गये अथवा सीलिंग क्यों हुई? अगर अवैध है तो काम्पलैक्स में बनी 36 दुकानों को क्यों नहीं ध्वस्त किया गया? वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ज्वाईंट कमिश्नर ने दिनांक 4 मई, 2014 को 5ई/14बी.पी. में खुद खड़े होकर तोड़फोड़ कराई। बावजूद इसके 5ई/14 बी.पी. में दुकानें बनकर तैयार हो गई। दिनांक 09.10.2014 को 5ई/14 बी.पी. दुकानों को सील किया गया। अब देखना यह है कि 5सी/44 काम्पलैक्स की तरह 5ई/14 बी.पी. के निर्माणकर्ता को कौन कितने में कब काटता है। 5ई/14 बी.पी. का निर्माण कार्य कब शुरू होता है। इसी 5 नं. में उक्त निर्माणों की तरह एक दो नहीं दर्जनों निर्माण कार्य चल रहे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 5के/16बी चार मंजिला इमारत में 9 फ्लैट, 5बी/8 में छह फ्लैट, 5एल/37 ए में छह फ्लैट में आधी से ज्यादा जमीन सरकारी है। 5के/5ए पूरी की पूरी सरकारी जमीन पर फ्लैट बने हुए हैं।

5एन/27, 5एन/20, चार-चार मंजिला इमारते बनाकर फ्लैटों का रूप दे दिया है। इस पूरे मामले में सवाल केवल एक है कि सरकार क्यों लोगों को चोर बनाकर उनसे पहले अवैध निर्माण करवाती है फिर उसके कर्मचारी जमकर वसूली करते हैं, बची में दल्ले दलालियां खाते हैं? क्यों नहीं सरकार अपनी भवन निर्माझा नीति को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाती? क्यों एक अवैध निर्माण रिश्वतखोरी के बाद वैध हो जताा है? यदि कोई निर्माण अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसे क्यों नहीं जड़मूल से साफकरके निर्माण के विरूद्ध मुदकमा दर्ज किया जाता? विदित है कि शहर में एक भी निर्माण ऐसा नहीं हैं जिसे अवैध बनाकर तोड़ा या सील किया गया हो और वह बाद में रिश्वत देकर न बन गया हो।

पुलिस के संरक्षण में चलता जुएं व शराब का धंधा

फरीदाबाद (म.मो.)। गत सप्ताह एन.एच-5 के व जे ब्लाक निवासी ऑनलाईन कैसीनो संचालक व शराब तस्कर दो सगे भाईयों आशू व नोनी (बिट्ठू) पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने को लेकर काफी संख्या में थाना एन.आई.टी. पहुंचे व जुआघर, शराब तस्करी बंद करवाने की मांग करी।

ब्लाकवासी दर्शन भाटिया ने बताया कि आशू व नोनी 5के/2ए में आनलाईन कैसीनो का अड्डा व वहीं पर शराब बेचने व जुआ खिलाने का काम करते हैं। जिस पर ब्लाकवासी कई बार थाने चौकी में इन दोनों भाईयों के खिलाफशिकायत कर चुके हैं। लेकिन पुलिस ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की। भाटिया ने बताया कि दिवाली की रात करीब 12.50 बजे 10-15 लड़के 5के/2ए में शराब पीकर आपस में रूपए के लेन-देन पर झगड़ पड़े व बाहर सड़क पर हंगामा करने लगे। जिस पर मौहल्ले वालों ने इकट्टे होकर उन्हें काफी समझाया। लेकिन उन्होंने मोहल्ले के लोगों को भी खूब गालियां व धक्का-मुक्की करी व महिलाओं से भी काफी बदतमीजी करी जिस पर ब्लाकवासी थाना एन.आई.टी. पहुंचे। रात करीब 2 बजे हैड कान्स्टेबल दिलबाग ने सारी बात सुनी। करीब आधे-एक घंटे बाद कहीं जाकर 5के/ब्लाक में पी.सी.आर. पहुंची तब तक लड़के व दोनों भाई मौके से फरार हो चुके थे। पी.सी.आर. में आए पुलिस अधिकारी सुबह कार्यवाही करने की बात कहरकर चलता बना, सुबह अगले दिन जब ब्लाकवासी कार्यवाही कराने को लेकर थाने पहुंचे तो पुलिसवाले ने फोन कर दोनों भाईयों को थाने बुलाया तो दोनों भाई यों ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने ही काफी गाली-गलौच करी व आगे भी धंधे की बात कहने लगा। जब ब्लाकवासियों ने पुलिस वालों को कार्यवाही की बात कहीं तो उल्टा पुलिस ने दोनों भाईयों का बचाव करते हुए कहा कि आगे से शराब वहां नहीं बेचेंगे व न ही ऑनलाईन कैसीनों वहां चलायेंगे। जिस पर पुलिस वालों ने दोनों भाईयों का ब्लाकवासियों में फैसला करवा दिया। जब दोपहर को ब्लाकवासी अपने घर पहुंचे तो आधे घंटे बाद आशू व बिट्ठू वहां शराब बेचने का काम कर रहे थे। ब्लाकवासियों ने इस बाबत पुलिस अधिकारी को फोन किया तो उसने ब्लाक वालों को धमकाते हुए बोला कि मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। ठेका तो पुलिस ने इन बदमाशों को जुआ खिलाने व शराब बेचने का दिया हुआ है। ऐसे में पुलिस ब्लाकवासियों को ही तो धमकायेगी। अब देखना यह है इस बाबत स्थानीय विधायक इस मामले को कैसे लेते हैं।

तुर्की-ब-तुर्की

'मुझे सजा सुनाये जाने को लेकर 193 लोग मर गये।'

(तमिलनाडू में मुख्यमंत्री जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद तथाकथित 193 मौतों को, जमानत पर छूटने पर जयललिता ने उपरोक्त रूप में व्यक्त किया। उन्होंने घोषित किया कि हर मृतक को तीन-तीन लाख रूपए पार्टी की ओर से दिया जायेगा। इन 193 लोगों में से 139 हृदयगति रुकने से मरेए बाकी ने आत्महत्या की)

हमारा कहना है:-

- लगे हाथ जरा यह भी बता दीजिये कि आपके यहां जब भी कोई बड़ा नेता मरता है, जेल जाता है या उसका तख्ता पलट होता है तो आम गरीब लोग ही क्यों मरते हैं? इन नेताओं के गम में न तो कोई अन्य नेता मरता है, न उनका कोई रिश्तेदार मरता है। क्या केवल ग़रीब लोग ही इन नेताओं को प्यार करते हैं? या मरने का ठेका गरीबों का है?

- आपके अपने नेता एवं गुरु एम.जी. रामचन्द्रन, जो आपको फ़िल्मी दुनिया से राजनीति में लाये थे, जब मरे थे तो भी कई लोग उनके 'गम में' मरे बताये गये थे। सर्वविदित है कि प्यार तो आप भी उनसे बहुत करती थीं, परन्तु आप उस सदमे से क्यों नहीं मरीं? तब भी तमाम ग़रीब लोगों की जान ही क्यों गयी?

- आपके जेल जाने के 'गम' में आपके सबसे विश्वासपात्र राजनीतिक सहयोगी पन्निर सेल्वम मरना तो दूर बल्कि उचक कर आपके आशीर्वाद से सीएम वाली कुर्सी पर जा बैठे। न ही आपकी सबसे प्यारी सहेली शशिकला का कुछ बिगड़ा। उनका पुत्र, जिस पर आपने खूब अपना लूट का माल बरसाया था, बल्कि आपके जेल जाने के अनेक कारणों में से एक वह भी है, उसका भी बाल बांका नहीं हुआ। भला ऐसा क्यों?

- आप लोगों ने तमिलनाडु में जो 'गम' में मरने की प्रथा चलाई है, उसको और महिमामंडित करने के लिए आपने तीन-तीन लाख रुपए का मुआवजा देकर इस जघन्य कार्य को और बढ़ावा ही दिया है। आपने खुद ही कहा है कि आपके जेल जाने की वजह से ये लोग मरे हैं, इसलिए आत्महत्याओं का दोषी आपको ठहरा कर क्यों न आपके विरुद्ध भादंस की धारा 306 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किये जायें?

''दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार भी कांग्रेस सरकार की तरह ही बर्ताव कर रही है और विदेशों में कालाधन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रही।''

(सुप्रीम कोर्ट में विदेशों में जमा काले धन पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के वकील द्वारा अंतरराष्ट्रीय मजबूरियों का हवाला देते हुए काला धन वालों का नाम उजागर न करने की दलील पर राम जेठमलानी ने उक्त प्रतिक्रिया दी)

हमारा कहना है:-

- राम जेठमलानी जी इतने देशपरस्त न बनिए। आपको काले धन को देश में लाने की चिन्ता की बजाय इन अमीर खाताधारकों पर मुकदमे चालू करने की चिन्ता सता रही है। इन लुटेरों पर मुकदमे चालू होंगे, तभी तो आपको करोड़ों रुपये फीस देने वाले मुवक्किल मिलेंगे।

- सर्वविदित है कि आसाराम जैसे व्याभिचारी से लेकर खनन माफिया एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री यदियुरप्पा जैसे काला धन उपजाने वालों की वकालत आप करोड़ों की फीस लेकर करते आये हो। हाल ही में लूट का माल हड़पने में सजायाफ्ता तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता तथा शिक्षक भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की वकालत आप कर चुके हैं। आपके ऐसे मुवक्किलों की लिस्ट बहुत लम्बी है और करोड़ों की फीस लिये बिना आप मुफ्त में तो उनके लिए कोर्टो में खड़े होते नहीं।

- वैसे विदेशों में कालाधन रखने वालों की पूरी लिस्ट तो आपके पास वैसे भी काफी समय से मौजूद है। आपको यह भी मालूम है कि किसका कितना माल कहां पड़ा है। तो फिर आप ही क्यों नहीं यह सब उजागर कर देते? दरअसल राष्ट्रद्रोहियों का नाम उजागर करने से आपको कोई लाभ नहीं। आपको तो लाभ तभी होगा जब मुकदमा कोर्ट में आयें और आपको फीस मिले। उसमें हो रही देरी से आप तिलमिलाए हुए हैं, थोड़ा सब्र रखिये, नाम भी उजागर होंगे और आपको जुगाली के लिए पर्याप्त मिलेगा भी। अपनी न्याय व्यवस्था ही ऐसी ठहरी।